अति–महत्वपूर्ण

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

E-mail: dfonainital@gmail.com courtcellforestntl@gmail.com Telefax.05942-236790, 231792

पत्रांकः– 5803 /29-3(3) नैनीताल, दिनाँक– 22/04/2024

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण,
नई दिल्ली।

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–518/2022, विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक–20.02.2024।

महोदय,

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–518/2022, विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक – 20.02.2024 को आदेश पारित करते हुए प्रतिवादीगण को निम्न निर्देश दिये गये हैं–

"4. An application for exemption from appearance has been filed on behalf of DFO, Nainital on the ground of personal difficulty due to training at Guwahati and in view of the reasons mentioned the same is allowed. Mr. Raj Kumar, SDO has appeared on behalf of DFO Nainital through VC.

5. Vide order dated 28.11.2023 the respondents were also directed to file their response to the recommendations made by the amicus curie but no response has been filed.

6. Learned Counsel for the respondents seek time for filing of response to the same.

7. Response to the recommendations made by the amicus curie be filed within one month by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

8. List on 24.04.2024 for final hearing."

यह उल्लेखनीय है कि विषयगत मूल आवेदन सं0 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल को पक्षकार नहीं बनाया गया था। जिसका उल्लेख प्रभाग द्वारा समय-समय पर दायर प्रतिशपथ पत्रों में किया गया है।

विषयगत प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दि0 03.05.2023, 22.08.2023 एव 28.11.2023 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल द्वारा अनुपालन शपथ पत्र दायर किये गये है। दिनांक 20.02.2024 को पारित आदेश में प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल को प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु निर्देशित नहीं किया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.09.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतिया एव सुझाव के सापेक्ष कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	समिति की संस्तुतिया	कार्यवाही का विवरण
1	समिति द्वारा देखा गया कि नैनीताल नगर के स्थानीय निवासी, प्रेस एवं मीडिया हरें वृक्षों के कटान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है तथा विभाग को अधिकांष मामलों में स्थानीय सहयोग तथा उनके द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हरें वृक्षों के पातन आदि की सूचनाए प्राप्त होती रहती है तथा अधिकांश मामलों में वन विभाग के स्तर से जुर्म इत्यादि पंजीकृत करते हुए तथा जुर्माना वसूलते हुए रोकथाम की कार्यवाही की गई है। वन विभाग को सत्त रूप से क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए अपराध गठित होने के दौरान ही अपराध नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक तंत्र विकसित करने की जरूरत है।	वन विभाग द्वारा अवैघ पातन के प्रकरण संज्ञान में आने पर सुसंगत अधिनियमों एवं नियामावलियों के तहत प्रभावी कार्यवाही की जाती है। प्रभाग द्वारा दायर शपथ पत्र दिनांक 16.08.2023, 21.11.2023 एवं 17.02.2024 में सभी प्रकरणों मे कार्यवाही का विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुसार माह जुलाई 2023 से नैनीताल नगर में अवैध पातन की आम नागरिकों की शिकायत दर्ज करने हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ गठित किया गया है। जिसमें माह जुलाई 2023 से दिनांक 07.04.2024 तक कुल 11 शिकायते प्राप्त हुई थी। जिनका निराकरण किया जा चुका है। **रिर्पोट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।** प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के स्तर से वन अपराधों को प्रशमित करने हेतु पत्रांक ख/846/29–3 (3) दिनांक 08.02.2023 से दिशानिर्देश भी जारी किये गये है। जिसका

		अनुपालन प्रभाग द्वारा किया जा रहा है।
2	वृक्षों के अवैघ पातन की शिकायत प्राप्त होने की दशा में त्वरित कार्यवाही करने के लिए वन विभाग द्वारा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन कर संचालन किया जायें. जो निगरानी हेतु अत्याधुनिक इलेक्ट्रानिक सर्विलांस उपकरणों से सुसज्जित हो। प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज शिकायतों का व्यौरा व कृत कार्यवाही का विवरण अंकित किया जायें।	प्रभाग द्वारा नैनीताल नगर की अवैध पातन की शिकायतो हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ गठित किया गया है। प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक ख 847/6–1 दिनांक 08. 02.2024 से राज्य स्तरीय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का भी गठन आदेश निर्गत किया गया है। जिसमें टोल फ्री नम्बर आम जानता को शिकायत दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराये गये है।
3	नैनीताल नगर क्षेत्रान्तर्गत अधिसूचित हरित जोन व निर्माण प्रतिबन्धित क्षेत्रो का प्रचार–प्रसार हेतु सम्बन्धित होर्डिंग/सूचना बोर्ड लगाया जाय जिसके लिए स्थानों का चिन्हिकरण किया जाना होगा।	निर्माण के प्रतिबन्ध से सम्बन्धित आदेशो/कार्यवाहियों हेतु वन विभाग के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नही है। झील विकास प्राधिकरण नैनीताल एवं नगरपालिका परिषद नैनीताल के स्तर से ही कार्यवाही अपेक्षित है।
4	विगत 20 वर्ष की गूगल इमेजरी अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नैनीताल नगर क्षेत्र में आवासीय भवनों का प्रसार द्रुत गति से हो रहा है। नगर क्षेत्र के विकास का मास्टर प्लान वर्ष 1995 से लागू है। जो वर्तमान में भी प्रभावी है। नये मास्टर प्लान में निर्माण कार्य में प्रभावी नियंत्रण हेतु वैज्ञानिक तरिकों का भी समावेश किया जाना आवश्यक होगा।	नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के स्तर से कार्यावाही अपेक्षित नही है। भवन निर्माण से सम्बन्धित योजनाओं की स्वीकृति नही दी जाती है। जहां पर निर्माण कार्य में वृक्ष स्थित होते है। ऐसे स्थानों पर निर्माण हेतु प्रभाग स्तर से अनापत्ति नही दी जाती है।
5	नैनीताल नगर क्षेत्रान्तर्गत हरित जोन क्षेत्र में अवैघ निर्माण पर पूर्ण प्रतिबन्ध व कठोर दण्ड का भी प्राविधान रखा जायें।	हरित जोन का नियंत्रण झील विकास प्राधिकरण नैनीताल का है। हरित जोन में निर्माण कार्यो के विरूद्ध कार्यवाही का दायित्व भी झील विकास प्राधिकरण नैनीताल में निहित है।
6	पूर्व निर्मित भवन, जिन्हें मरम्म्त व पुनर्निर्माण की अनुमति दी जा रही है, पूर्व स्वीकृत एवं निर्मित क्षेत्रफल अनुसार हो,	नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

	उसके अतिरिक्त निर्माण न हो।	
7	नगर क्षेत्रान्तर्गत नजूल की भूमि का स्वामित्व शासन एवं नगर पालिका परिषद में निहित होने के कारण नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत स्थित नजूल भूमि एवं नगर पालिका से बाहर की नजूल भूमि के वृक्षों के कटान पर नगर पालिका द्वारा भी दण्डात्मक एवं प्रभावात्मक कार्य किया जाना अपेक्षित होगा।	नगरपालिका परिषद नैनीताल के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

क्र0सं0	शिकायत का दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	अभियुक्त का नाम व मोबाइल नम्बर	अभियुक्त
1	19.07.2023	श्री मनोज साह जगाती, सभासद न0पा0 परिषद नै0 मो0न0 8477817678	श्री शोभित साह नि0 प्रयारी लॉज काटेज अयारपाटा मल्लीताल नैनीताल	स्थल पर 0–10 वर्ग व्यास का एक तिमिल वृक्ष हरा कटा पाया गया। जुर्माना कुल पच्चीस हजार मात्र वसूल किया गया।
2	18.08.2023	श्री रितिक निवासी जय लाल साह बाजार मल्लीताल नैनीताल मो0न0 9720383259	श्री कमल साही पुत्र/श्री अमर साही केयर टेकर नि0 स्प्रिंग फील्ड कम्पाउण्ड मल्लीताल नैनीताल।	स्थल पर बॉज वृक्ष 60–70 वर्ग व्यास की 0–10 वर्ग व्यास की 04 शाखायें कटी पायी गई। जुर्माना पॉच हजार मात्र वसूल किया।
3	29.10.2023	सुश्री नीता पवार निवासी रॉक हाउस कम्पाउण्ड तल्लीताल नैनीताल।	श्री रईस खान निवासी रॉक हाउस कम्पाउण्ड तल्लीताल नैनीताल।	अपराधी द्वारा बॉज वृक्ष हरा खड़ा 30–40 वर्ग व्यास का भवन निर्माण के दौरान मानक दूरी का उल्लघन किया गया जुर्माना की धनराशि 25000 रू0 पच्चीस हजार मात्र वसूल किया गया।
4	04.11.2023	श्री दीपक सिंह निवासी मल्लीताल नैनीताल। मो0सं0 6396388916	श्री मोबिन निवासी लक्ष्मी निवास एन0सी0सी0 आफिस सी0आर0एस0टी0 स्कूल के समीप मल्लीताल नैनीताल।	अपराधी सुरई हरें वृक्ष 30–40 वर्ग व्यास की भवन निर्माण के दौरान मानक दूरी का उल्लघन किया गया। जुर्माना की धनराशि 25000 रू0 पच्चीस हजार मात्र वसूल किया गया।
5	25.11.2023	श्री मयंक सिंह निवासी खुर्पाताल नैनीताल।	श्री हरीश चन्द्र नि0 चार खेत नारायण नगर नैनीताल।	अपराधी द्वारा नारायण नगर बीट के कालाढुंगी मोटर मार्ग पर चारखेत बैण्ड से लगभग 3.00 मी0 दूरी पर वन क्षेत्र क0सं0 20 में बॉज वृक्ष 30–40 कटा पाया गया। जुर्माना की धनराशि 25000 रू0 पच्चीस हजार मात्र वसूल किया गया।
6	05.02.2024	श्री हिम्मत सिंह निवासी तल्ला कृष्णापुर तल्लीताल नैनीताल।	श्री रोहित पुत्र/श्री सत्यप्रकाश नि0 बरतौरा अमरोहा उत्तर प्रदेश।	अपराधी द्वारा बलियानाला बीट अन्तर्गत जी0जी0आई0सी0 परिसर में (जे0सी0बी0) द्वारा 02 वृक्ष मोरपंखी 0–10 वर्ग व्यास की व एक गुरूड़ वृक्ष 10–20 वर्ग व्यास को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त किया गया जुर्माना राशि 40000 मात्र वसूल की गई।
7	08.02.2024	श्री हेम सिंह बिष्ट निवासी ब्रे साइड कम्पाउण्ड नैनीताल। मो0सं08077689607	श्री लक्की कुमार पुत्र/श्री जगदीश कुमार, श्री प्रतिक कुमार पुत्र/श्री संजय पवार नि0 मंगावली रतन काटेज तल्लीताल नैनीताल।	सेन्टलू बीट के (नी0क0) में फाइन गार्डन के समीप एक सूखा खड़ा बॉज वृक्ष 20–30 वर्ग व्यास का वृक्ष मौके पर काटते पाया गया। जुर्माना की धनराशि 14000 मात्र वसूल की गई।
8	08.02.2024	श्री मनोज साह जगाती, मो0न0 8477817678	सार्थक सभरवाल नि0 गौतम बुद्ध नगर उ0प्र0/स्नोडन कम्पाउण्ड निकट धामपूर बैण्ड मल्लीताल नैनीताल।	अपराधी द्वारा लैण्डसएण्ड बीट अन्तर्गत नी0क0 धामपूर बैण्ड नैनीताल से खरसू हरा वृक्ष 20–30 व 0–10 वर्ग व्यास के कुल 02 हरे वृक्ष व काकिस 20–30 वर्ग व्यास का 01 वृक्ष कुल तीन वृक्ष मौके पर कटे पाये गये।
9	21.03.2024	श्री रचित तिवारी ऐडवोकेट तल्लीताल नैनीताल।	मो0 शिराज पुत्र/श्री गुलाम साबिर, आइनो विला कम्पाउण्ड फांसी गधेरा तल्लीताल नैनीताल।	अपराधी द्वारा ताल क्षेत्र बीट अन्तर्गत नी0क0 क्षेत्र में एक कौल वृक्ष 10–20 वर्ग व्यास की 0–10 वर्ग व्यास सेमी0 की 01 शाख कटी पायी गयी। जुर्माने की धनराशि रू0 5000 मात्र वसूल किया गया।
10	04.04.2024	श्री दीपक सिंह निवासी मल्लीताल नैनीताल। मो0 सं0 6396388916	श्री विजय सिंह मिनोझा, श्री उदभव खण्डेवाल, सेन्ट लियोनार्ड अयारपाटा मल्लीताल नैनीताल।	अपराधी द्वारा अयारपाटा बीट अन्तर्गत नी0क0 में भवन निर्माण के दौरान 03 मीटर मानक दूरी का उल्लघन पाया गया जुर्माना की धनराशि रू0 150000 मात्र वसूल किया गया।
11	07.04.2024	श्री रितिक निवासी जय लाल साह बाजार मल्लीताल नैनीताल मो0न0 9720383259	श्री सौरव सिंह, श्री महेन्द्र सिंह निवासी अयारपाटा मल्लीताल नैनीताल।	अपराधी को अयारपाटा बीट के रक्षित वन क्षेत्र के क0सं0 12 में टिफिफन टॉप के समीप रात्रि 10:30 बजे अवैध रूप से पार्टी करते समय पकड़ा गया जुर्माना की धनराशि रू0 4000 मात्र वसूल किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

वन क्षेत्राधिकारी
नगरपालिका वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल